अपील उपशमन हो चुकी है इसलिए अपील उपशमन होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) आरआरटी पेज 232 प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपीलांट समीदेवी का देहान्त दिनांक 25.01.2014 को हुआ है। जिसकी जानकारी उनको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से अर्सा 10 दिवस पूर्व हुई है। प्रार्थना पत्र लगभग 3 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में विलम्ब शमन हेतु स्वीकार करना नहीं। प्रार्थना पत्र आकस्मिक रीति से पेश किया गया है। मियाद का कानून केवल मात्र औपचारिकता नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना कि उनको समीदेवी की मृत्यु का ज्ञान अर्सा 10 दिवस हुआ मानने योग्य नहीं है। समीदेवी के विधिक प्रतिनिधि अपील चलाने में जागरूक नहीं थे। इस प्रकार अपील उपशमन हो चुकी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है साथ ही अपील उपशमन (Abate) होने से अपील खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे

आदेश आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible] चन्द्र चौधरी)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official